समाचार

होम आईसोलेशन नियमों का पूर्ण पालन करें, संपर्क में आए व्यक्ति व परिजन कोविड जांच कराएं

(आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने विभिन्न कालोनियों में पहुंचकर होम आईसोलेट व्यक्तियों का जाना हाल—चाल)

कोरबा 24 मार्च 2021 —आयुक्त श्री जयवर्धन ने होम आईसोलेट किए गए कोविड पाजिटिव व्यक्तियों एवं उनके परिजनों से कहा है कि वे होम आईसोलेशन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें तथा कोविड पाजिटिव व्यक्ति के परिजन एवं संपर्क में आए हुए अन्य लोग अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट कराएं। उन्होने कहा कि होम आईसोलेशन में अपनी आक्सीजन लेवल की जांच करते रहे, स्वास्थ्य पर नजर रखें तथा किसी भी प्रकार की स्वास्थगत परेशानी होने पर तुरंत डाक्टर से दूरभाष पर संपर्क करें।

उक्त बातें आयुक्त श्री जयवर्धन ने होम आईसोलेट किए गए कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों के घर पहुंचकर उनसे कही। यहां उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से अपने पैर पसार रहा है तथा सभी राज्यों के साथ—साथ छत्तीसगढ़ में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाएं हैं। कोविड पाजिटिव व्यक्तियों को होम आईसोलेशन कराया जा रहा है एवं उन्हें आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। आज आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा एवं जोन के अधिकारियों के साथ कोसाबाड़ी जोनांतर्गत रविशंकर शुक्ल नगर, सुभाष ब्लाक, नगर निगम कालोनी सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों का दौरा किया तथा होम आईसोलेट किए गए व्यक्तियों का हालचाल जाना। उन्होने जानकारी ली कि दवा उपलब्ध करा दी गई है या नहीं तथा कोविड पाजिटिव हुए लोग जांच रिपोर्ट आने के पूर्व किन—किन लोगों के संपर्क में आये तथा कौन—कौन से व्यक्ति इस दौरान उनके घर पहुंचे, उन्होने जोन अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाकर उनकी कोविड जांच कराएं। उन्होने कोविड पाजिटिव आए लोगों के परिजनों एवं पड़ोसियों से कहा कि वे भी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड जांच तुरंत करा लें तथा जब तक जांच रिपोर्ट न आए, घर से बाहर न निकले। होम आईसोलेट व्यक्ति पृथक कमरे में रहे व पृथक शौचालय का उपयोग करें, घर के

सदस्यों से दूरी बनाकर रखें तथा घर के बाहर कदापि न निकले, होम आईसोलेशन का पूर्ण रूप से पालन करें।

अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं– आयुक्त श्री जयवर्धन ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सावधानी बरता जाना अत्यंत आवश्यक है, अतः कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करें। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होने निगम के जोन कमिश्नरों व मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखें तथा उन पर अर्थदण्ड लगाएं, साथ ही कड़ी हिदायत भी दें। उन्होने दुकानदारों, व्यवसायियों से भी अपील की है कि वे अपने दुकानों, प्रतिष्ठानों में बिना मास्क किसी को प्रवेश न करने दें तथा दुकानों में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं।